न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 109/2024 दायर दिनांक 01.10.2024

उनवान

1. मांगीलाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव तहसील पिडावा

– वादी

बनाम

1. रामगोपाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव तहसील पिडावा
2. कालूलाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव तहसील पिडावा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –
अभिभाषक वादी – श्री रामनाथ सिंह
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 – एकतरफा
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 – श्री रमेशचन्द सोनी

निर्णय दिनांक 19.06.2025

पत्रावली माननीय न्यायालय भू.प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 02.08.2024 की पालना में पुनः पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता स. 317 की आराजी किता 4 रकबा 4.0090 हेक्टर एवं खाता सं. 318 की आराजी किता 2 रकबा 0.6197 हेक्टर तथा खाता सं. 541 की आराजी ख.नं. 372/1260 रकबा 2.3396 हेक्टर भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2019 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हक व हिस्सा अनुसार राजस्थान काष्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे [illegible] पालना में नायब तहसीलदार सुनेल से पत्रांक राजस्व/2021/481 दिनांक 09.06.2021 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

2022 को फाईनल डिकी पारित कर पक्षकारान के खाते पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया गया।

2. ततपश्चात वादी द्वारा अपत्ति प्रस्तुत करने से पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया जिसकी पालना में नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/862 दिनांक 21.10.2022 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2023 को फाईनल डिकी पारित कर पक्षकारान के खाते पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया गया जिसकी पालना में नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा जरिये नामा.सं. 1786 दिनांक 20.07.2023 खाता विभाजन किया जाकर पृथक पृथक खाते दर्ज किये गये जिसके वर्तमान खाता सं. 580, 581, 317, 318 है।

3. कालूलाल पि. नन्दा जाति तैली नि. ओसाव ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं फाईनल डिकी दिनांक 24.01.2023 से अप्रसन्न होकर द्वारा न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 02.08.2024 को निर्णय व डिकी पारित कर अपील आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा जारी डिकी दिनांक 24.01.2023 को अपास्त कर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि – **वे राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

4. पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तहसीलदार सुनेल से प्राथमिक डिकी दिनांक 30.07.2019 की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अधीन उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया जिसकी पालना में तहसीलदार सु[illegible]/2024/1197 दिनांक 28.11.2024 को ग्रा[illegible] 2074–77 के खाता स. 317 की आराजी किता 4 [illegible] एवं खाता सं. 318 की आराजी किता 2 रकबा 0.6197 हेक्टर तथा खा[illegible]सं. 541 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 372/1260 रकबा 2.3396 हेक्टर भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सुनेल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.11.2024 पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री जारी करने का निवेदन किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया।

5. अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2019 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.11.2024 अनुसार ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता स. 317 की आराजी किता 4 रकबा 4.0090 हेक्टर एवं खाता सं. 318 की आराजी किता 2 रकबा 0.6197 हेक्टर तथा खाता सं. 541 की आराजी ख.नं. 372/1260 रकबा 2.3396 हेक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता ह। पक्षकारान का बैक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

क्र. स.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.
1	ग्राम ओसाव	मांगीलाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव रहन विजया बैंक शाखा झालरापाटन	532	0.1644
			533	0.2150
			534	0.3415
			372/1260	0.7798
			216/1	0.2093
			216/4	0.1650
			216/8	0.1430
			216/11	0.0982
			किता 8	2.1162
2		रामगोपाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव रहन स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रायपुर	532	0.1644
			533	0.2150
			534	0.3415
			372/1260	0.7799
			216/2	0.2092
			216/5	0.1650
			216/7	0.1430
			216/9	0.0982
			किता 8	2.1162
3		कालूलाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव रहन एसडीएफसी बैंक झालावाड	532	0.1644
			533	0.2150
			534	0.3414
			216/3 [?]	0.2593
			216/6	0.2280
			216/10	0.1282
			किता 6	1.3363

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

4		यशोदाबाई पत्नि राकेश कुमार जाति तैली नि. ओसाव रहन एसडीएफसी बैंक झालावाड	372 / 1260 230 231	0.7799 0.1012 0.5186
			किता 2	1.3997

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी गंगधार
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] ([illegible])

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:42:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2		रामगोपाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव रहन स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा रायपुर	532 533 534 372/1260 216/2 216/5 216/7 216/9	0.1644 0.2150 0.3415 0.7799 0.2092 0.1650 0.1430 0.0982
			किता 8	2.1162
3		कालूलाल पि. नन्दा जाति तेली नि. ओसाव. रहन एसडीएफसी बैंक झालावाड	532 533 534 216/3 216/6 216/10	0.1644 0.2150 0.3414 0.2593 0.2280 0.1282
			किता 6	1.3363
4		यशोदाबाई पत्नि राकेश कुमार जाति तैली नि. ओसाव रहन एसडीएफसी बैंक झालावाड	372/1260 230 231	0.7799 0.1012 0.5186
			किता 2	1.3997

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0 (राज0)

निज ....X.............. मुबालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ......X............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0 (राज0)

मुदई		मुदालेयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 16:42:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner